परिपत्र संख्या 18/11

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक एफ 7(42)जन/11/ 28012 दिनांकः 22-11-

परिपत्र

मुद्रांक एवं पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 के परिपत्र संख्या 16/09 में अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों में रैण्डम आधार पर मौका निरीक्षण करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं। इसी परिपत्र के बिन्दु संख्या-15 में स्पष्ट किया गया है कि पंजीयन अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का मौका निरीक्षण सांयः 6.00 बजे पश्चात् ही किया जावे, ताकि दिन में कार्यालय में उप पंजीयक की अनुपस्थिति के कारण आमजनता को कोई परेशानी नहीं हो सके।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय उप पंजीयक मौका निरीक्षण का कार्य दिन में करते हैं। इस कारण उनकी उपस्थिति कार्यालय में नहीं होने के कारण आमजनता को अपने दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश करने में विलम्ब होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः इस संबंध में समस्त उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि रैण्डम आधार पर चयनित दस्तावेजों में सम्पत्ति के मौका निरीक्षण का कार्य सांयः 6.00 बजे पश्चात् ही किया जावे, ताकि आपकी कार्यालय में अनुपस्थिति के कारण आमजन को कोई परेशानी नहीं हो।

अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर एवं समस्त वित्त अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ 7(42)जन/11/ 28013-462 दिनांकः 22-11-11

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर ।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर